कार्यालय जिलाधिकारी, उन्नाव
सार्वजनिक सूचना

संख्या–2051/तीस–उप खनिज/2020 दिनांक–14/09/2020

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जिलाधिकारी के आदेश दिनॉक 14.09.2020 के क्रम में जनपद उन्नाव की तहसील सदर अन्तर्गत ग्राम परियर में भण्डारित बालू/मौरम, जिसका विवरण निम्नवत है। शासनादेश संख्या–2595/86–2018–12 (समा0)/2018 दिनांक–03.12.2018 के अनुसार भण्डारण मात्रा 10,000 घनमीटर अथवा इससे अधिक हो तो ई–टेण्डर के माध्यम से निस्तारित करके प्राप्त धनराशि कोषागार के रायल्टी मद में जमा कराये यदि अवशेष उपखनिज 10,000 घनमी0 से कम है तो टेण्डर करके उपखनिज का निस्तारण करने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के क्रम में जनपद उन्नाव में निम्न विवरण के अनुसार भण्डारित उपखनिज बालू/मौरम, जिसमें मात्रा 10,000 घनमीटर से अधिक है, को ई–टेण्डर के माध्यम से निस्तारित किया जाना प्रस्तावित है।

भण्डारित उप खनिज बालू का विवरण

क0	भण्डारण स्थल का विवरण	खनिज का नाम	भण्डारित खनिज की मात्रा (घनमीटर)	भण्डारित खनिज की रायल्टी दर (प्रतिघन मीटर)	भण्डारित खनिज की कुल रायल्टी/न्यूनतम आरक्षित मूल्य (रू0 मे)	अर्नेस्ट मनी (कॉलम–6 में अंकित सकल धनराशि का 50 प्रतिशत (रू0 में)	अवधि जिसमें खनिज की निकासी की जायेगी।
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जनपद उन्नाव की तहसील सदर के ग्राम परियर के गाटा संख्या–145, 146, 148, 149 में पूर्व के भण्डारण अनुज्ञापित श्री प्रभात कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 महेश चन्द्र वैश्य	साधारण बालू	1,23,763घनमी0	65/–	80,44,595/–	40,22,298/–	3 माह

उक्त ई–निविदा दिनांक 16.09.2020 को समय 10.00 बजे प्रातः से दिनांक 21.09.2020 (पॉच कार्य दिवस) को सायः 5:00 बजे तक वेबासाइट **https//etender.up.nic.in** पर आमंत्रित की जाती है जिसे दिनांक 22.09.2020 को अपरान्ह 12:00 बजे गठित समिति के समक्ष कलेक्ट्रेट उन्नाव स्थित सभागार मे खोली जायेगी।

– : नीलामी की शर्तें : –

1–भण्डारित उप खनिज साधारण बालू को निर्धारित अवधि में हटाने के लिये ई–निविदा प्रणाली के माध्यम से स्वीकृत किये जायेगें। ई–निविदा स्वीकृत की अवधि अथवा खनिज की मात्रा, जो पहले समाप्त हो, तक के लिये वैध मानी जायेगी।

2–ई–निविदा में भाग से पूर्व प्री–बिड अर्नेस्ट मनी, जो ऊपर लिखित कॉलम–7 में अंकित है, को जमा करना अनिवार्य होगा। निविदादाता द्वारा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अर्नेस्ट मनी की धनराशि, जो जिलाधिकारी उन्नाव के पक्ष में देय होगी, की स्कैन प्रति तकनीकी बिड के साथ लोड करना अनिवार्य होगा तथा बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई–निविदा खोले जाने से पूर्व 11.00 बजे पूर्वान्ह क्वैरी कार्यालय, उन्नाव में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, जिसे निविदादाता द्वारा मूल बैंक ड्राफ्ट की प्रति निर्धारित अवधि के अन्दर खनिज कार्यालय उन्नाव में उपलब्ध

नही की जाती है, तो उसकी ई–निविदा पर विचार नही किया जायेगा तथा फाइनेंसियल बिड नही खोला जायेगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे बिड आई0डी0, बिडर/फर्म का नाम बिडर का मोबाइल नम्बर अंकित करना अनिवार्य होगा।

3–निविदादाता द्वारा खनिज के प्रति घनमीटर के लिये दी जाने वाली बोली रायल्टी दर जो ऊपर लिखित कॉलम–5 में अंकित है, से कम बिड/बोली स्वीकार नही की जायेगी। यदि निर्धारित रायल्टी से कम दर पर बिड/बोली दी जाती है तो निविदादाता द्वारा दिया गया बिड/बोली मान्य नही है।

4–भण्डरित उप खनिज साधारण बालू के प्रति घनमीटर के लिये दी जाने वाली सर्वोच्च रायल्टी दर के निविदाकर्ता का चयन उस क्षेत्र में भण्डारित उप खनिज साधारण बालू की निकासी के लिये किया जायेगा।

5–ई–निविदा ऑनलाइन उ0प्र0 शासन के **https//etender.up.nic.in** के माध्यम से ही स्वीकार किया जायेगा। बिड डाक्यूमेन्ट और अन्य विस्तृत जानकारी जैसे योग्यता, निविदा दाता की आर्हता तथा अन्य शर्तो की जानकारी किसी भी कार्य दिवस में खनिज कार्यालय उन्नाव से प्राप्त की जा सकती है।

6–इच्छुक आवेदकों के लिये ऑनलाइन ई–निविदा में प्रतिभाग करने हेतु क्लास–2 साइनिंग टाइप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डी0एस0सी0) होना आवश्यक है, जो किसी भी सर्टिफाइंग ऐजेन्सी से प्राप्त किया जा सकता है।

7–इच्छुक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी (आवेदक) को **https//etender.up.nic.in** पर पंजीयन करना अनिवार्य होगा। पंजीयन हेतु व्यक्ति फर्म/कम्पनी को ई–निविदा **https//etender.up.nic.in** के पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन फार्म भरना होगा, निविदादाता अपने लिये स्वंय जनित यूजर आई0डी0 व पासवर्ड बनायेगें।

8–ई–निविदा में प्रतिभाग करने हेतु जिलाधिकारी उन्नाव के पक्ष में रू0 15,000/– का आवेदन शुल्क बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करना होगा, जो अप्रतिदेय होगा तथा जमा रसीद की प्रति स्कैन कर ई–निविदा बिड के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

9–निविदादाता द्वारा ऑनलाइन निविदा प्रकिया में प्रतिभाग करते समय **https//etender.up.nic.in** पोर्टल पर स्वंय की आई0डी0 लॉगिन कर तकनीकी बिड के साथ स्वप्रमाणित निम्न अभिलेख/प्रमाण पत्र स्कैन कर अपलोड करना अनिवार्य होगः–

(क) आवेदक का सम्बंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फर्म के मामले में प्रोपराइटर/पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की प्रति एवं कम्पनी के मामले में निदेशक का डी0आई0एन0 व कम्पनी का पैन कार्ड एवं जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन की प्रति।

(ख) सम्बंधित जिले के जिलाधिकारी अथवा प्रधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया खनन बकाया न होने का प्रमाण पत्र। जहॉं आवेदक राज्य के भीतर कोई खनिज परिहार धारित नही करता है, वहॉं इस आशय का शपथ पत्र।

10–ई–निविदा में निम्नलिखित व्यक्ति/फर्म/कम्पनी भाग नही ले सकते हैः–

(क) जो भारतीय राष्ट्रिक नही है,

(ख) जिसके विरूद्व खनिज देय बकाया है,

(ग) जिसने उस जिले के जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जहां वह स्थायी रूप से निवास करता है, से चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त नही कर लिया है, शर्त यह है कि उक्त चरित्र प्रमाण पत्र पुलिस सत्यापन के आधार पर दिया गया हो,

(घ) जिसने आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत न की हो।

(च) जिसका नाम काली सूची में दर्ज हो।

(छ) फर्म/कम्पनी के मामले में जिसने पैन कार्ड तथा जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया हो।

11–निर्धारित समय के पश्चात निविदा बन्द हो जायेगी, और उसके पश्चात कोई निविदा नही दिया जा सकता है।

12–सर्वोच्च/सफल निविदादाता को छोड़कर शेष निविदादाताओं द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी को वापस कर दी जायेगी।

13–सर्वोच्च/सफल निविदादाता द्वारा ई–निविदा में दी गयी सर्वोच्च दर को उस खण्ड में भण्डारित उपखनिज साधारण बालू की मात्रा से गुणा कर वास्तविक देय धनराशि निकाली जायेगी, जिसमें से अग्रिम के रूप में 50

प्रतिशत अर्नेष्ट मनी की धनराशि को समायोजित करते हुये शेष धनराशि स्वीकृत आदेश मिलने के दो कार्य दिवसों के अन्दर बैंक ड्राफ्ट/कोषागार में चालान के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।

14–सर्वोच्च/सफल निविदादाता, यदि सर्वोच्च बोली की धनराशि को जमा करने में असफल होता है तो उसके द्वारा जमा की गयी अर्नेष्ट मनी की धनराशि जब्त कर ली जायेगी और उसके द्वारा इस सम्बंध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नही होगा।

–:अन्य शर्तें :–

1–ई–निविदा में भाग लेने से पूर्व क्षेत्र में खनिज की उपलब्धता एवं भण्डारित स्थल के लिये पहुँच मार्ग आदि के सम्बंध में मौके का निरीक्षण कर बिडर स्वयं आश्वस्त हो लें। ई–निविदा में भाग लेने के पश्चात इस सम्बंध में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नही किया जायेगा।

2–निविदादाता साधारण बालू के परिवहन हेतु प्रत्येक उप खनिज वाहन को वैद्य परिवहन प्रपत्र विवरण सहित जारी करेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में निविदानुसार शास्ति का भागी होगा।

3–निविदादाता ऐसी रीति से उप खनिज का परिवहन करेगा, जिसे कोई सडक, सार्वजनिक मार्ग, भवन भू–गृहदि, सार्वजनिक भू–स्थल या सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति न पहुँचे।

4–निविदादाता परिवहन किये गये उप खनिज का लेखा जोखा रखेगा और एतदर्थ प्रतिनियुक्ति प्रतिकारी को ऐसे लेखों का निरीक्षण करने की अनुमति देगा।

5–निविदादाता को समय–समय पर शासन/खनन निदेशालय/जिला प्रशासन द्वारा जो भी निर्देश/आदेश नियमानुसार दिये जायेगें, उसका अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

6–ई–निविदा बिना सूचना/कारण बताये स्वीकार अथवा निरस्त करने का अधिकारी जिलाधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा।

7–यदि कोई शुद्वि पत्र बाद में प्रकाशित होता है तो इसकी पूर्ण जानकारी केवल ई–टेण्डरिंग पोर्टल **https//etender.up.nic.in** पर ही सार्वजनिक की जायेगी।

8–मा0 न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

प्रभारी अधिकारी खनन,
उन्नाव।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ0प्र0, खनिज भवन, लखनऊ।
2. निदेशक, सूचना, उ0प्र0 लखनऊ।
3. जिलाधिकारी महोदय उन्नाव को सादर अवलोकनार्थ।
4. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार जनपद उन्नाव को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
5. सूचना विज्ञान अधिकारी को जनपद की वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
6. नाजिर सदर, कलेक्ट्रेट, उन्नाव को व्यापक प्रचार प्रसार के लिए नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।

प्रभारी अधिकारी खनन
उन्नाव।